

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

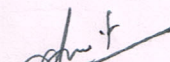
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाली असंयोजित बसावट मंजोखी (CC 00712100, H-08, Pop. 266). को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 2491/पी०३-14/यू०आर०आर०डी०ए०/10 दिनांक 18 मार्च, 2010 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

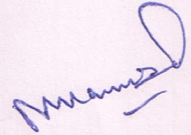
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट मंजोखी की आवादी 266 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

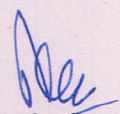
उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि शून्य है० वन पंचायत भूमि शून्य है०, नाप भूमि 1.940 है०, सिविल सोयम भूमि 4.900 है० एवं मलबा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.759 है० प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 7.600 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि शून्य है०, एवं सिविल सोयम भूमि 4.900 है० एवं मलबा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.759 है०, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कृषि अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

प्रशासनिक स्वीकृति

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 688 / पी3-14 / यू.आर.आर.डी.ए. / 14

दिनांक: 19 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल की 250-499 तक जनसंख्या की असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार कुल 11 मार्ग, अनुमानित लम्बाई 96.00 किमी० का चयन किया गया है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समरंखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। डी०पी०आर० गठित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का समरंखण कोर नेटवर्क के अनुरूप हो, यदि समरंखण कोर नेटवर्क के अनुरूप नहीं है, तो सम्बन्धित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिलाधिकारी एवं मा० सांसद महोदय से समरंखण का सत्यापन तथा सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र में मार्ग के समरंखण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर नेटवर्क संशोधन प्रस्ताव सहित डी०पी०आर० गठित की जाये। तत्पश्चात् इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनभूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा एवं श्रीनगर गढ़वाल।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), लो०नि०वि०, अल्मोड़ा एवं कोटद्वार।

संलग्नक: यथोपरि।

2.2 (III)

परिशिष्ट क

Proposed Road works under PMGSY

Attachment of G.O. No.Dt.

S. No	Block	Unconnected Target Habitation	Population	Name of Road				Habitations to be Connected
				From	To	Stage-I&II	Approx. Length (Km)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
District: Almora								
1	Tarikheth	Pakhora	375	Bhujan	/ Pakhora	I	12.00	Pakhora(375)
2	Tarikheth	Sagneti	303	Saula	Paparh	I&II	14.00	Sagneti(303), Paparh(223)
3	Tarikheth	Enara	299	Almiyakade-Diholi Rd.	Enara	I&II	3.00	Enara(299)
4	Tarikheth	Karakote	336	Bhikyasain (Lachhmola)	Baina-Karakote	I	12.00	Baina(169), Karakote(336)
5	Takula	Dauni	456	Kausani	Dauni	I&II	5.00	Dauni(456)
6	Hawalbag	Dhatwal Gaon	341	Khunt-Kakrighat Rd.	Dhatwal Gaon	I	4.00	Dhatwal Gaon(341)
7	Hawalbag	Pokhari	419	Patali Bagod	Pokhari	I	12.00	Pokhari(419)
District: Pauri Garhwal								
8	Dwarikhal	Manjokhi	266	TD2 ODR	Manjokhi	I	10.00	Manjokhi(266), Asneth(158), Tatri(169)
9	Dwarikhal	Khera	268	L031 of Kandakhani	Khera	I	8.00	Khera(268)
10	Dwarikhal	Timali	254	Km 1.00 of L032	Timali	I	6.00	Timali(254), Dabara(73)
11	Dwarikhal	Khamana	270	Daboli	Khamana	I	10.00	Khamana(270)
Total		No. of Road = 11					96.00	Habitation (250-499) - 11 Nos. Habitation (<250) - 05 Nos. Total Habitation - 16 Nos.

Chief Engineer &
Dy. Chief Executive,
URRDA

13 (e)

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जारवणीखाल-अमोला मिंखिंग मंजोरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 0/0-7/25) (सादरवाल से मंजोरी)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 19 दिसंबर 2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सोहन लाल बिजवाल राजस्व विभाग की ओर श्री पुष्कर सिंह (गं. 30/30/118) प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राम सिंह (कं. 30/30) एवं श्री शाफ़्फ़ूनाथ (अमान) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि X है, सिविल एवं सोयम वन भूमि 4.900 है, वन पंचायत भूमि X है, वन पंचायत भूमि X है एवं नाप भूमि 1.940 है, प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है। (अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है) वृक्ष की सूची तथा मूल्यांकन सूची संलग्न है।

संवन्धनकारी का धनत्व है।

अधिशामी अभियन्ता
हो/- सिन्हा खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0
पी.आई.व्. (पी.एम.जी.एस.वाइ.)
कोरद्वार (पौड़ी गढ़वाल)
प्रयोक्ता एजेन्सी

हो/-

पुष्कर सिंह
गं. 30/30/118
द्वारा

तहसीलदार
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

हो/-

वन विभाग प्रतिनिधि

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैसडोन (गढ़वाल)

वन क्षेत्राधिकारी
चैलूसैण रंज

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

प्रमाणीय वनाधिकारी

जिलाधिकारी
गढ़वाल (पौड़ी)

एच. जी. एच.
रीम्बडीन (गढ़वाल)

परियोजना का नाम	:-	जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि०मी० 57 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	----	---

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 19 एवं 20/09/2014 को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० कोटद्वार के द्वारा नैगांव कांडा से मंजोखी तक बनाये जाने वाले मोटर मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सोहन लाल बिजवाल वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री पुष्कर सिंह राजस्व उप निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राम सिंह कनिष्ठ अभियंता एवं श्री शम्भूनाथ अमीन के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 2155 (मी०) नाप भूमि. से, 5444 (मी०) सिविल भूमि से, शून्य (मी०) वन पंचायत से, शून्य (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.940 हे० नाप भूमि, 4.900 हे० सिविल भूमि, एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.759 हे०, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, शून्य हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.659 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर 468 वृक्ष आम, अखरोट, खड़ीक, भीमल प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2500 (मी०) नाप भूमि.से, 5750 (मी०) सिविल भूमि से, शून्य (मी०) वन पंचायत से, शून्य (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 2.250 हे० नाप भूमि, 5.175 हे० सिविल भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, शून्य हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.175 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 500 वृक्ष आम, अखरोट, खड़ीक, भीमल प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन कक्षों से नहीं गुजरता है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0.2 है एवं इन कक्षों में कोई प्रजाति के वन नहीं हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि पर कोई प्रजाति के वन नहीं हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर आम, अखरोट, खड़ीक, भीमल प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.2 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 30°1'56.90"N 78°29'0.87"E है तथा यह स्थल कि०मी० 57 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल मंजोखी है जिसका GPS मान 30°1'33.40"N 78°30'27.16"E है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 30°2'39.71"N 78°29'55.27"E हैं।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 10 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 30° 1'57.54"N 78°29'2.20"E/ 30° 1'53.92"N 78°29'19.98"E/ 30° 2'7.63"N 78°29'27.51"E/ 30° 2'26.55"N 78°29'42.02"E/ 30° 2'35.31"N 78°29'45.13"E/ 30° 2'38.34"N 78°29'56.03"E/ 30° 2'8.56"N 78°29'54.93"E/ 30° 1'54.89"N 78°30'4.52"E/ 30° 1'44.83"N 78°30'6.70"E/ 30° 1'33.96"N 78°30'23.67"E हैं।

स्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेंसी)
सिंचाई एवं सि० वि०

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
एनिसिनि

हस्ताक्षर
पुष्कर सिंह
(राजस्व विभाग)
राजस्व उपनिरीक्षक

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है। कि आज दि० 19.9.14 से 20.9.14 तक
को पी० एम० जी० एस० वाई सिन्हा खण्ड कोयदार संवम भूमि संरक्षण वन-
प्रभाग लैसडाउन चेंबरमें रोज के इस्ताफारे सुत कर्मचारियों संवम
अधिकारियों के द्वारा जख्मी बांध काट कर मजदूरों को गाँव मजोरी तक मोटर मार्ग का
संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम सभा के निवासी
भी उपस्थित रहे हैं वे भी उपस्थित था ग्राम सभा मजोरी और साबन्ध गेवं गल्लानी
नेक के सामबासीयो के द्वारा विविध संवम नापभूमि की सही जानकारी दी गई है।
तो कि सत्य दी गई है इसके अलावा मोटरमार्ग में किसी प्रकार की कोई अन्य
भूमि नहीं है वृत्तों की गणना से ग्राम सभा मजोरी की जनता संवम में सहमत है

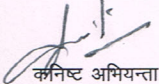
- (1) वन दर्रांग - चैलू सेव रेणु
- (II) क० अ० पी० सम० जी० एस० वाई० सी० एच० के० ए० रामसिंह
- (III) अमीन पी० एस० जी० एस० वाई० सी० एच० के० ए० रामनाथ
- (IV) वन अफसर - चैलू सेव रेणु (रामकृष्ण) राजकृष्ण न. उ०
- (V) जगतसिंह वन वरोग जगतसिंह
- (VI) अमीन मैंगोटेक भदियल सिंह चौहान
- (VII) महेन्द्रानन्द ग्राम मजोखी महेन्द्रानन्द
- (VIII) सोहनलाल ग्राम मजोखी सोहनलाल
- पवान ग्राम सभा मजोखी बिल्लुदेवी

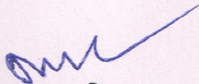


परियोजना का नाम	:-	जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि०मी० 57 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	----	--

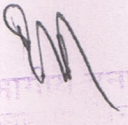
वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण-2 को ग्राम सभा की आपत्ति एवं समरेखण की लम्बाई अधिक होने के कारण निरस्त किया गया। प्रस्तावित समरेखण-1 को ग्राम सभा की सहमति तथा कम वृक्षों की संख्या के कारण उचित पाया गया। तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से भी समरेखण-2 की अपेक्षा समरेखण-1 को उपयुक्त पाया गया है।


कर्मिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

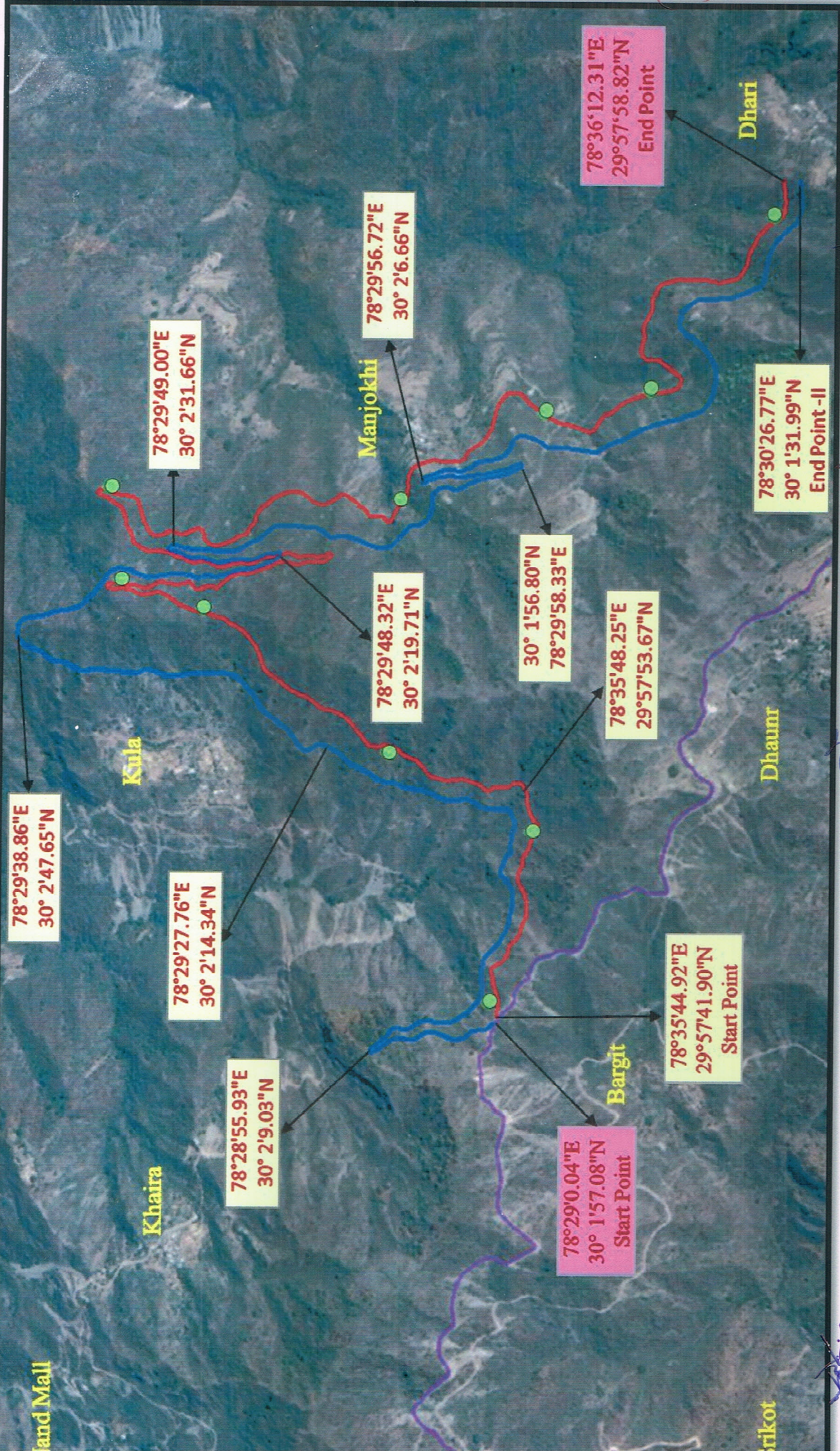
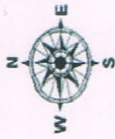

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल


उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि सम्पदा विभाग
भारतखान (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रेष :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्तगत प्रस्तावित कि० मी० 57 के टी० -2 (ओ० डी० आर० मोटर मार्ग) - मंजोखी मोटर का वैकल्पिक संरेखण ।



गणेश सिंह
प्रमुख
राजस्व
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो० गढ़वाल)
कोटद्वार (गढ़वाल)

अश्विनी सिंह
अभियन्ता
आई. यू. (पी. एम्. जी. एस. वर्क)
सिंचाई खण्ड, लो० गढ़वाल
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

तहसीलदार
पौड़ी गढ़वाल